भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5667
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

बच्चों में कुपोषण

5667. **श्री वीरेन्द्र सिंहः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है,
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग) 15वें वित्त आयोग के तहत, बेहतर पोषण सामग्री और वितरण के माध्यम से कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित योजना है, जहाँ किसी भी लाभार्थी के लिए पंजीकरण करने और सेवाएँ प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल खाना खाने से नहीं होता है; इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय आवश्यक होते हैं जो स्वच्छता, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल तक पहुंच जैसे कारकों से प्रभावित होते हैं। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक होता है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण की मदद से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस में मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये मानदंड मुख्य रूप से आईसीएमआर-एनआईएन द्वारा निर्धारित आरडीए की तुलना में पोषक तत्वों के सेवन में अंतराल को कम करने के लिए तैयार किए गए हैं। बच्चों सहित भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ते (आरडीए) का सुझाव भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर-एनआईएन) के तहत राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा दिया जाता है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की

जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत प्रमुख गतिविधियों में से सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन है जिससे लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा सके, क्योंकि अच्छे पोषण संबंधी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

श्री वीरेंद्र सिंह द्वारा पूछे गए "बच्चों में कुपोषण" के संबंध में दिनांक 04.04.2025 के लोक सभा प्रश्न संख्या 5667 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:

निधियां	**जारी की गई निधि (करोड़ में)**
2021-22	2407.55
2022-23	2721.87
2023-24	2668.69
2024-25*	2694.61

* 31 मार्च 2025 तक जारी की गई निधि

*****